दार होती हैं। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि दोनों वर्ग के सहयोग की आज आवश्यकता है। अखबारों में आने से और मेरे या आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सिद्धान्त रूप में भी रखें तो भी कुछ नहीं होगा। इसको हमें धरती पर उतारना होगा, कार्यक्षेत्र में लाना होगा। कितने ही लोगों को मैं जानती हूं जो कह देंगे कि एक पैसा भी तिलक नहीं लिया और एक हाथ में नारियल लेकर बैठ जाएंगे तिलक चढ़ाने के लिए लेकिन मैं जानती हूं कि दो चार लाख रुपये वे पीछे से ले लेते हैं। इन केसिस में कोई क्या कर सकता है ? ये केसिस हमारे सामने न आएं तो हम क्या कर सकते हैं। और पुलिस विभाग के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जहां जो कुछ काम हो रहा है, क्या गड़बड़ी है और क्या नहीं गड़बड़ी है क्योंकि मैं तो इस मंत्रालय में अभी नई आयी हूं, लेकिन जितना भी देख सकती हूं मैं कर सकती हूं। तत्परता के साथ काम हो रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो कुछ बातें यहां हुई और जो केसेज का जिक्र आप लोगों ने किया और माननीया निर्मला कुमारी शकतावत ने जो 2, 3 केसेज दिये हैं उन्हें छानबीन करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। और आप लोगों का सहयोग भी इस कार्य में अपेक्षित है।

SHRI P.C. SETHI : Sir, I was asked about the President's assent to the Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 which was passed by the Parliament. The President has given his assent on 25.12.83.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up the next item.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I want to know whether it has been gazetted and whether it is being applied now to the cases that are pending. Let him reply to that.

---

**14.07 hrs.**

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 19th March, 1984, will consist of :—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper.

(2) General Discussion on the Punjab Budget for 1984-85.

(3) Discussion and voting on :

(a) Demands for Grants on Accounts (Punjab) for 1984-85.

(b) Supplementary Demands for Grants (Punjab) for 1983-84.

(4) Further consideration and passing of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1982.

As Members are aware, the House will take up discussion and voting of Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1984-85 from 20th March, 1984 onwards, a tentative time table for discussion of which has already been circulated to the Members.

श्री बुद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह के लिये निम्न विषय सम्मिलित किये जायें।

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश विद्युत संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

राजस्थान प्रान्त में विद्युत संकट की स्थिति संभीर से गंभीरतम है।

राजस्थान के अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई एक साल से अधिक अर्से से बन्द है। दूसरी इकाई भी एक सप्ताह से बंद हो गई है। कोटा ताप बिजली घर में भी कुछ खराबी होने के कारण बंद पड़ा है।

**14.08 hrs.**

[SHRI F. H. MOHSIN *in the Chair*]

इसके कारण औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन पर बड़ा प्रहार हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में जहां पीने के पानी की योजनायें बिजली पर निर्भर हैं, पीने का पानी नहीं मिलने से नागरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा छाई हुई है।

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : मान्यवर, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम मद संख्या 11 में निम्नलिखित विषय जोड़ना चाहता हूं।

संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि संसद की प्रमुख कार्यवाही को जाने। लेकिन संसद समीक्षा जो टेलीविजन पर हिन्दी में प्रसारित किया जाता है, वह लोकल कार्यक्रम के अन्तर्गत है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिर्फ अंग्रेजी में प्रसारित किया जाता है। हिन्दी भाषी बहुसंख्यक लोग हिन्दी में संसद की कार्यवाही सुनने से वंचित रह जाते हैं। कोई वजह नहीं है कि संसद में कार्यवाही का अंग्रेजी प्रसारण राष्ट्रीय कार्यक्रम में हो और हिन्दी का लोकल में।

अतः सरकार से मांग है कि 'संसद समीक्षा' टी० वी० के कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत लावें।

दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर हो रहे अन्याय से संबंधित है। आजादी के 36 वर्षों के बाद भी सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षित कोटा नगण्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट तो संसद में पेश हो जाती है, लेकिन उस पर प्रायः बहस नहीं होती। हम लोग बार-बार बहस की मांग करते आ रहे हैं। अध्यक्ष ने भी सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक बहस नहीं हो पाई है।

अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग एवं आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस करायी जाये। सभापति महोदय, जरा मंत्री जी को कहिये।

**सभापति महोदय** : वह सुन रहें हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : हमको नहीं मालूम कि वह सुन रहे हैं।

**श्री एच०के०एल० भगत** : कान को लगा कर सुन रहा हूं।

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा घोषित आगामी सप्ताह की कार्यसूचि में निम्न दो विषयों को भी सम्मिलित करने को कहें।

1. उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जो ऋण दिया जा रहा है, राज्य विद्युत परिषद उस धन का उपयोग अभीष्ट कार्य हेतु न कर के अन्य क्षेत्रों में कर रही है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति लगभग शून्य रही है।

2. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1985 के बाद भी लगभग आधे गांव पेयजल के अभाव से पीड़ित रहेंगे। राज्य सरकार के पास इन गांवों के पेयजल उपलब्ध करवाने

की कोई योजना नहीं है। इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार को बड़े पैमाने में आर्थिक सहायता देनी होगी।

अतः इन विषयों पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

**प्रो० अजित कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं आज संसदीय कार्य मंत्री को अगले सप्ताह के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित दो सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :

1. मतदान में इलैक्ट्रोनिक मशीन के प्रयोग को गैर-कानूनी घोषित कर, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में पुराने कानूनों एवं शब्दावली को ज्यों-का-त्यों समाहित कर लेने से बदले हुए संदर्भ में उत्पन्न परिस्थिति की ओर ध्यान खींचा है। चुनाव आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य स्वाधीन संस्थाओं को संदर्भ के अनुसार नई व्याख्या देने का अधिकार देना इसका समाधान नहीं है। इससे कभी भी ये व्याख्याएं कानून की मूल भावना के विरुद्ध जाकर संवैधानिक संकट खड़ा कर सकती हैं। वास्तविक समाधान कानूनों में सुधार से ही संभव है। चुनाव आयोग ने एक अर्से से चुनावों में इलैक्ट्रोनिक मशीनों के उपयोग का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेज रखा है। प्रतिपक्ष ने भी इसके प्रयोग की मांग की है। यदि यह इसके गुण और दोष से अवगत नहीं हैं तो इसके सभी पहलुओं पर सार्वजनिक बहस निमंत्रित करें और नहीं तो वर्तमान कानून में संशोधन कर इसके प्रयोग को वैध बनायें।

2. बिहार के भागलपुर जिले में सुलतानपुर से पीरपेती तक गंगा पर दो पानीदारों का अधिपत्य मुगलकाल से ही चले आने के कारण नदी के किनारे पर बसी 65 गांवों की 40 हजार निषाद और गंगोत जातियों का शोषण हो रहा है। पानीदार और उनके ठेकेदार अपनी अलग कचहरी बनाकर हथियार बन्द कारिन्दों के मध्यम से मछली पकड़ने वाली हर नाव से औसतन 5,000 रुपये वार्षिक जल-कर वसूलते हैं। अगस्त और सितम्बर में ये पानीदार मछली के जीरे का व्यापार कर 10, 12 लाख अलग से कमाते हैं। अधिक मुनाफे के लालच में ज्यादा से ज्यादा अंडे निकाल लेने के कारण मछलियां कम हो जाती हैं, जिससे मछुओं की आमदनी भी घटती है। इसके अलावा मछुआरों को अपनी मछली, ठेकेदारों द्वारा तय किये गये लोगों के हाथ ही बेचने की अनिवार्यता रहती है। कहलगांव में प्रस्तावित सुपर-तापीय बिजली घर के निर्माण के बाद उसका कचरा और गर्म जल गंगा में ही गिराया जायेगा, जिससे दूर-दूर तक मछलियों का शायद जिन्दा रहना ही दूभर हो जायेगा। इसके अलावा हौलैंड से टालर और परसीन नेट मंगवाने की घोषणा से मछुआरों के बेरोजगार होने की आशंका है। अतः बिहार सरकार का ध्यान उन मछुआरों की समस्या सुधारने की ओर केन्द्रीय सरकार को दिलाना चाहिये।

**श्री चन्द्रपाल शंखवार** (हाथरस) : सभापति महोदय, आगामी 19 मार्च से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लोक-सभा की कार्यवाही में मेरे निम्नलिखित विषय को भी सम्मिलित करने की कृपा करें :—

एक अर्से से मणिपुर में उग्रवादियों की गतिविधियां बड़ी तेजी से चल रही हैं और आये दिन वहां हिंसक घटनायें होती रहती हैं, जिससे वहां जान-माल का नुकसान हुआ है। यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है।

कल 14 मार्च को मणिपुर के हीरंगोथांग नामक स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और उग्रवादियों की मुठभेड़ में 13 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 40 से अधिक के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है। मारे गये लोगों में रिजर्व पुलिस का एक जवान और एक बच्चा भी शामिल है।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, I would like to suggest the following item for inclusion in the business for the week commencing 19th March, 1984 :—

"Clues given by India's former High Commissioner in U.K. regarding the murder of Indian Diplomat Shri Ravindra Mhatre."

Within a few days of the kidnapping of the Indian Diplomat, Shri Ravindra Mhatre, the former Indian High Commissioner in U.K., Shri N.G. Goray, was informed on telephone about the suspicious activities of a group in the Ealing area in U.K. and the informants had hinted at the possibility of the involvement of this group in the kidnapping and subsequent murder of Shri Ravindra Mhatre. This information was promptly communicated by the former High Commissioner, Shri N.G. Goray, to the External Affairs Minister. However, he received no information as to what steps were taken in this regard.

I would request the Minister of External Affairs to make a statement in this regard. I had raised this on 7th March also.....

MR. CHAIRMAN : He will reply on the 20th when the Demands of that Ministry will be coming up.

PROF. MADHU DANDAVATE : There anything under the Sun can come up. But this is a special demand—neither Supplementary nor ordinary Demand.

MR. CHAIRMAN : He will take note of it.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) : Sir, I beg to get the following items included in the business of the week commencing from 19th March, 1984.

1. Acute scarcity of electricity, diesel, kerosene, oil, urea and fertiliser is hampering industrial and agricultural production in Bihar, disturbing academic life, communications, etc., and adversely affecting most of the other aspects of life.

I urge upon the Minister of Energy to take prompt steps to ensure adequate supply and equitable distribution of the above. As the matter brooks no delay, I want its inclusion in the items of business for the next week.

2. The second item I want to be included in the next week's business is that of recurring drought and floods and continuing power scarcity. It is high time we concentrate our energies on construction of multi-purpose high dams over river Kosi at Barahkshitra, over river Kamla at Sirsapur, over river Bagmati at Nunthur, over rivers Karnali, Pancheshwar and Rapti. These dams will eliminate floods and drought from major parts of North India, eliminate power scarcity in the country and ease road and rail communication. Kosi dam alone will supply enough water during the lean months required by the Calcutta Port. These dams are in mutual interest of India and Nepal and high level political talks are needed to clinch the issue.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, I would like the hon. Minister to include the following item in the business for the next week :—

The poor plight of trained apprentices of Damodar Valley Corporation who have successfully completed the training and passed the Final Examination of all India Trade Test needs to be looked into urgently. In spite of the fact that the Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation, have issued instructions, *vide* No. DGET-9(7)/82-AP dated 24-3-83, directing the public sector undertakings and their establishments to implement the recommendation of the Central Apprenticeship Council for conversion of 50 of the total vacancies to direct recruitment posts and ensure absorption of apprentices under the Apprentices Act, 1961 in minimum of 50% of the direct recruitment vacancies, the DVC management which was absorbing apprentices earlier have since stopped such absorption for reasons best known to them. In fact, there are a good number of unfilled vacancies in

different formations of DVC where the trained apprentices may be absorbed. It is indeed unfortunate that the DVC management is defeating the very purpose of imparting technical training to apprentices by not absorbing the trained apprentices and thus utilising this skilled labour force. While other public sector/ autonomous and even private sector establishments are absorbing trained apprentices, the DVC is the only exception to this rule.

I, therefore, urge upon the Minister to immediately instruct the DVC management to absorb the trained apprentices.

SHRI H.K.L. BHAGAT: I have listened to the points raised by the hon. Members very carefully and noted them. The timetable for discussion on the Demands for Grants of various Ministries commencing on 20th March, 1984 has already been circulated. I shall carry all the points raised by the hon. Members to the Business Advisory Committee to find out time for a discussion on the points raised by them, if possible.

**श्री राम विलास पासवान** : संसदीय समीक्षा वाला बतला दीजिए, यह तो आपका है। 7-20 पर देते हैं। साढ़े दस बजे आपकी अंग्रेजी होती है उसके पहले कर दीजिए।

**श्री एच० के० एल० भगत** : आपकी बात मैंने नोट कर ली।

**सभापति महोदय** : उनको टाइम तो दीजिए सोचने के लिए।

**श्री राम विलास पासवान** : वह तो दो साल से सोच रहे हैं।

---

**14.22 hrs.**

## RESOLUTION RE APPROVAL OF RECOMMENDATIONS OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, RAILWAY BUDGET, 1984-85—GENERAL DISCUSSION, SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1983-84 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1981-82.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the Resolution regarding approval of the recommendations of the Railway Convention Committee and discussion and voting on Demands for Grants (Railways) for 1984-85, Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1983-84 and Demands for Excess Grants (Railways) for 1981-82 for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated, may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly. In case any Member finds any discrepancy in the list he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY) : I beg to move the following Resolution :

> "That this House approves the recommendations made in paragraphs 7, 8, 12 and 13 contained in the Tenth Report of the Railway Convention Committee (1980), appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance, which was presented to the Parliament on the 24th February, 1984."